



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226720
CG-DL-E-22042021-226720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1553]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2021/वैशाख 2, 1943

No. 1553]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2021/VAISAKHA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2021

का.आ.1671(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1359(अ) तारीख 24/04/2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH-48 (Old NH-4) के कि.मी. 592.240 से कि.मी. 725.000 (कागल - सातारा सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "04/06/2020" को "द इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) और "दैनिक सकाळ" (मराठी) दोनों समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH-48 (Old NH-4) के कि.मी. 592.240 से कि.मी.725.000 (कागल - सातारा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सातारा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कराड				
	गांव का नाम: नारायणवाडी				
1	747 Part	निजी	कृषि	0.01	किसन रामचंद्र यादव, किजेश प्रवीणचंद दोशी. ()
2	748 Part	निजी	कृषि	0.0078	नारायण तातोबा मोरे, पांडुरंग आनंदराव एटम. ()
3	749 Part	निजी	कृषि	0.01	रामचंद्र नारू खुडे, पांडुरंग आनंदराव एटम. ()
4	750 Part	निजी	कृषि	0.005	जनार्दन विठ्ठल देशमुख. ()
5	752 Part	निजी	कृषि	0.01	पांडुरंग दौलती खुडे, भिमराव दौलती खुडे, महादेव दौलती खुडे, मारुती दौलती खुडे, रामचंद्र दौलती खुडे,

					नवनाथ पुरुषोत्तम खुडे अ.पा.क. आई अनिता पुरुषोत्तम खुडे. ()
6	753 Part	निजी	कृषि	0.06	छाया श्रीकांत पाटील, शिवाजी तानाजी देशमुख, ज्ञानदेव तानाजी देशमुख, वसंत तानाजी देशमुख, तारुबाई तानाजी देशमुख, प्रभावती निवृत्ती पाटील, प्रशांत भिमराव लादे, विनायक शिवाजी पाटील, पंडित खाशाबा पाटील, संजय रघुनाथ पाटील, विजय रघुनाथ पाटील. ()
7	754 Part	निजी	कृषि	0.01	शामराव तातोबा पाटील, अर्चना रंगराव पाटील, प्रकाश बाळकृष्ण पाटील, दामोदर तातोबा पाटील. ()
			कुल	0.1128	

[फा. सं. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2021

S.O. 1671(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.1359(E) Dated 24/04/2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Two Laning/Four-Laning/Six Laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-48 (Old NH-4) in the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 725.000 (Kagal - Satara Section) in the district of Satara in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” (English) and “Daily Sakal” (Marathi) both dated 04/06/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 725.000 (Kagal - Satara Section) of NH-48 (Old NH-4) in the district of Satara in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: Satara		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Karad				
	Village: Narayanwadi				
1	747 Part	Private	Agriculture	0.01	Kisan Ramchandra Yadav, Kijesh Pravinchand Doshi.
2	748 Part	Private	Agriculture	0.0078	Narayan Tatoba More, Pandurang Anandrao Etam.
3	749 Part	Private	Agriculture	0.01	Ramchandra Naru Khude, Pandurang Anandrao Etam.
4	750 Part	Private	Agriculture	0.005	Janardan Vitthal Deshmukh.
5	752 Part	Private	Agriculture	0.01	Pandurang Doulati Khude, Bhimrao Doulati Khude, Mahadev Doulati Khude, Maruti Doulati Khude, Ramchandra Doulati Khude, Navnath Purushottam Khude MG Mother Anita Purushottam Khude.
6	753 Part	Private	Agriculture	0.06	Chaya Shrikant Patil, Shivaji Tanaji Deshmukh, Dnyandev Tanaji Deshmukh, Vasant Tanaji Deshmukh, Tarubai Tanaji Deshmukh, Prabhavati Nivrutti Patil, Prashant Bhimrao Lade, Vinayak Shivaji Patil, Pandit Khasaba Patil, Sanjay Raghunath Patil, Vijay Raghunath Patil.
7	754 Part	Private	Agriculture	0.01	Shamrao Tatoba Patil, Archana Rangrao Patil, Prakash Balkrushna Patil, Damodar Tatoba Patil
			TOTAL	0.1128	

[F. No. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D1]

RAJESH GUPTA, Director